न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 13/2016 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— जसवीरसिंह पुत्र श्री दरबारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 जेएसडी बुगिया तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

— बनाम —

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर जरिये राजपैरोकार।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री सुरेश कुमार शर्मा — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 07.08.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.09.2015, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने वृद्ध पिता श्री दरबारासिंह के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 22/72 डीएम श्रीगंगानगर पर दर्ज 12 बोर गन दर्ज है, को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके समर्थन में पिता श्री दरबारासिंह का तस्दीक शुदा शपथ पत्र संलग्न किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, सीआईडी(एटीसी) जयपुर तथा अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी(वि.शा.) श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 465 दिनांक 21.2.2014 में आवेदक को लाईसेंस दिया जाना अनुचित बताया, जिसको आधार मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2015 से निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी । अभिभाषक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट ने बहस में अवगत कराया अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट वास्ते समाअत अदालतवाला अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री सुरेश कुमार शर्मा ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालतवाला का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून उसूल एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट अपने वृद्ध पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को लेने के उद्देश्य से अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया था, जिसे बिना किसी माकूल वजह के निरस्त कर दिया गया है। अपीलांट शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारण करने की योग्यता व क्षमता रखता है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्री गंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.2.14 में समस्त बिन्दुओं की रिपोर्ट प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में की है। रिपोर्ट में आगे केवल "अनुचित है" लिखा गया है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र नहीं दिये जाने के बारे में स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई है तथा "प्रकरण वृद्ध (दादा) का है।" की टिप्पणी की है, जबकि अपीलांट अपने वृद्ध पिता का शस्त्र लेना चाहता है, जिसकी सहमति स्वरूप अपीलांट के पक्ष में शपथ पत्र भी दिया है। थाना पुलिस जैतसर की रिपोर्ट भी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में है। बहस में अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की ओर ध्यान दिलाते हुए विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट का पिता जीवित है जबकि आदेश में उन्हें स्वर्गीय अंकित किया गया है। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एवं अपीलाधीन आदेश डिफेक्टिव होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट का चाल चलन संबंधी एवं आपराधिक रिकार्ड में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं आई है। अपीलांट खेतीहर मजदूर है। उसे अपनी खेती व पशुधन की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये एकतरफा तौर पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने पिता का शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। अपीलांट लाईसेंस क्यों ले रहा है, उसे कौनसा खतरा है, यह अपीलांट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

साबित करने में नाकाम रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.2.14 में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने को अनुचित बताया है, इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पुलिस की रिपोर्ट का व्यापक अध्ययन नहीं किया है। पुलिस की समस्त रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया जाता है। अपीलांट अपने पिता के वृद्ध होने तथा शस्त्र धारण करने में अक्षम होने के कारण तथा अपनी खेती व पशुधन की सुरक्षा के मध्यनजर वृद्ध प्रकरण में अपने पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज हथियार 12 बोर गन को शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेकर अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने तहसीलदार की रिपोर्ट सीआईडी (सीबी) आदि रिपोर्ट को भी अपीलांट के पक्ष में होना बताया है, जो अधिनस्थ के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट भी है। अपीलांट का कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट को अपीलाधीन आदेश में आधार लिये जाने को उचित बताया है, जो उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश डिफेक्टिव व इकतरफा है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2015 निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 07.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर